



Neutral Citation No - 2026:AHC:24479

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 2026 की 4138

निर्मला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलक्ष्येन्द्र गोयल

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, फूलपुर, जिला प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.10.2023 के अनुपालन की प्रार्थना सहित प्रस्तुत की है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के तहत प्रारंभ की गई कार्यवाहियाँ, जो प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष वाद संख्या 8943/2023 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202302030208943) के रूप में थीं, उनमें याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिनांकित 18.10.2023 पारित किया गया है। तर्क है कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज पर्यन्त उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इस न्यायालय की समन्वयी पीठ द्वारा रिट-सी संख्या 35470/2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य) को अग्रणी रिट याचिका मानते हुए दिनांक 18.12.2025 को निर्णीत रिट याचिकाओं के समूह में विधि सुस्थापित की गई है, जिसमें पैरा संख्या 44 से 46 में कतिपय निर्देश दिए गए, जो निम्नानुसार हैं:-

"44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप जिलाधिकारी को सीमा-विवादों के संक्षिप्त निपटान हेतु सांविधिक अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान करती है, जो सीमांकन एवं कब्जा पुनःस्थापन के लिए अनिवार्य प्रवर्तन प्राधिकार से युक्त हैं। निष्पादन विवेकाधीन नहीं, अपितु उग्रबंध की प्रभावकारिता का अभिन्न अंग है – प्रवर्तन न करना समस्त संक्षिप्त तंत्र को निरर्थक बना देता है और विधायी आशय को विफल करता है। विरचित व्यापक दिशा-निर्देशों का उद्देश्य सांविधिक अधिदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 का नियम 22), कार्यपालिक अनुदेशों (शासनादेश दिनांकित 16.12.2025), प्रशासनिक विधि के सिद्धान्तों तथा निष्पक्षता एवं लोक व्यवस्था की संवैधानिक अनिवार्यताओं में समन्वय स्थापित करते हुए एक सुव्यवस्थित ढाँचा प्रदान करना है। संबंधित प्रतिवादी, विशेषतः उप जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, विधि के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए आबद्ध हैं कि धारा 24 के तहत पारित आदेशों का प्रभावी रूप से प्रवर्तन हो।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश राज्य के समस्त राजस्व प्राधिकारियों को राज्यव्यापी रूप से परिचालित किए जाएँ। अनिवार्य प्रशिक्षण एवं आरसीसीएमएस कार्यविधि अनुपालन हेतु एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रतिवादीगण, विशेषतः संबंधित उप जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार सप्ताह के भीतर वर्तमान रिट याचिकाओं के समूह में विषयगत समस्त आदेशों का निष्पादन, अनुमोदित स्थल-जापन/सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार कड़ाई से, सीमा चिन्ह अभिस्थापित करके तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ कब्जा भी पुनःस्थापित करके करें।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. प्रकरण की इस स्थिति में, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि संबंधित उप जिलाधिकारी आदेश दिनांकित 18.10.2023 का विधि अनुसार कड़ाई से तथा उपर्युक्त उद्धृत **मीना देवी (उपरोक्त)** के प्रकरण में किए गए प्रेक्षणों के अनुसार अनुपालन करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"